भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 638

12 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में दुर्घटनाएं

638. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा संचालित इस्पात संयंत्रों में औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सेल द्वारा संचालित इस्पात संयंत्रों में होने वाली इन औद्योगिक दुर्घटनाओं को सूचीबद्ध करने के बाद इनकी कोई विस्तृत वार्षिक या आवधिक रिपोर्ट तैयार की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उक्त अवधि के दौरान बीएसपी के घायल श्रमिकों एवं कर्मचारियों को दिये गये मुआवजे एवं अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड(सेल) द्वारा संचालित इस्पात संयंत्रों में विगत पाँच वर्षों के दौरान औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु किए गए प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:

- सुरक्षा दिशानिर्देशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), मानक रखरखाव प्रक्रियाओं (एसएमपी) इत्यादि को तैयार करना और अनुपालन
- दुर्घटनाओं के सभी मामलों की जांच, विश्लेषण और समीक्षा
- संयंत्रों द्वारा सुरक्षा प्रबंधनों हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति
- सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना और प्रशिक्षण आयोजित करना
- सुरक्षा निष्पादन की आवधिक समीक्षा
- सुरक्षा प्रबंधन पद्धतियों का क्रियान्वयन
- सुरक्षा में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग
- सुरक्षा जांच और निरीक्षण

(ख)और(ग): जी हाँ,दुर्घटनाओं के मामलों की जानकारी तथा उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए,घातक दुर्घटनाओं के विवरण को शामिलकरते हुए औद्योगिक दुर्घटनाओं का ब्योरा सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) द्वारा तैयार मासिक रिपोर्टों और वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित किया जाता है और सभी संयंत्रों एवं इकाइयों के साथ साझा किया जाता है तथा इंट्रानेट वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

(घ): विगत पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र में घटित दुर्घटनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**घातक दुर्घटनाएं**	**अन्य रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाएं***
2017	1	3
2018	0	1
2019	2	1
2020	2	3
2021	4	5
2022 (नवम्बर, 22)	3	4

*रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाएं वे होती हैं जहां किसी कारखाने में दुर्घटना के कारण कोई शारीरिक चोट लगती है जिसके कारण घायल व्यक्ति को दुर्घटना के तुरन्त बाद अड़तालीस घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका जाता है।

(ङ.): विगत पाँच वर्षों और चालू वर्ष (नवंबर 2022 तक) के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र के घायल श्रमिकों और कर्मचारियों को बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा प्रदान किये गये प्रतिकर और अन्य सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:

i) बोकारो इस्पात संयंत्र के मृत कर्मचारी के परिवार हेतु घातक दुर्घटनाओं के मामले में, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अनुसार लगभग 44,97,000/- रूपये का प्रतिकर दिया गया है और कर्मचारी के मामले में उपार्जन क्षमता की क्षति के लिए लगभग 1,46,000/- रूपये का प्रतिकर दिया गया है।

ii) संविदागत श्रमिकों के मामले में स्वीकार्य प्रतिकर लाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा दिया जाता है।

iii) हालांकि यह एक वैधानिक दायित्व नहीं है,तथापि नियोजन से और उसके अनुक्रम में हुई दुर्घटना के कारण कर्मचारियों की मृत्यु या स्थायी पूर्ण नि:शक्तता के मामले में पात्र आश्रितों में से एक को अनुकंपा के आधार पर नियोजन दिया जा रहा है। कार्य परिसर के भीतर नियोजन से और उसकेअनुक्रम में हुई दुर्घटना के कारण सविदांगत श्रमिक (परियोजना कार्य के लिए लगे श्रमिकों सहित) की मृत्यु के मामले में, उसके पात्र आश्रितों में से एक को नियोजन दिया जा रहा है

iv) कर्मचारियों के मामले में, विकल्प चुनने वालों के लिए कर्मचारी परिवार लाभ योजना (ईएफबीएस) के तहत लाभ, स्थायी पूर्ण नि:शक्तता/मृत्यु के मामले में यथा लागू होता है, यदि आश्रितों के लिए नियोजन का विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् नियोजन के बदले में)। एक मामले में, इएफबीएस का लाभनियोजन के बदले एक मृतक कर्मचारी के आश्रित को दिया गया है।

v) बोकरो इस्पात संयंत्र/ ईएसआई द्वारा यथा लागू चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

*****